न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 36 / 2018

अपीलांट –	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स –**
नारायणसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत निवासी जानसिंह की बेरी तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार गडरारोड 2. इन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी जानसिंह की बेरी तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध शुद्धि–पत्र स्वीकृति आदेश दिनांक 20.08.2018 जो तहसीलदार गडरारोड द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पुरूषोतम सोनी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनलाल सोनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 05.06.2023

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम जानसिंह की बेरी के खसरा नंबर 626 / 450 रकबा 36–02 बीघा जो नारायणसिंह पुत्र राणसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज थी के संबंध में जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांक प.10(73)(1)सतर्कता / 2017 / 1980–2015 दिनांक 20.07.2018 की बैठक में दिये निर्देशों की पालना में राजस्थान सरकार के पक्ष में दायर शुद्धि–पत्र की तहसीलदार गडरारोड द्वारा स्वीकृति दिनांक 20.08.2018 के विरूद्ध दिनांक 11.10.2018 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा जानसिंह की बेरी के खसरा नंबर 626 / 450 रकबा 36–02 बीघा जो नारायणसिंह पुत्र राणसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारी भूमि के संबंध में जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांक प.10(73)(1)सतर्कता / 2017 / 1980–2015 दिनांक 20.07.2018 की बैठक में दिये निर्देशों की पालना में राजस्थान सरकार के पक्ष में दायर शुद्धि–पत्र की तहसीलदार गडरारोड द्वारा स्वीकृति दिनांक 20.08.2018 को की गई है। अपीलांट ने तहसीलदार गडरारोड के उक्त शुद्धि–पत्र स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस न्यायालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:26 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

समक्ष दिनांक 11.10.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील अन्दर मयाद शुमार किये जाने का भी निवेदन किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को मयाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया एवं अपीलाधीन मूल शुद्धि–पत्र मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट का लगातार 45 वर्षों से बिना रोक–टोक शांतिपूर्वक तरीके से बहैसियत खातेदार कब्जा–काश्त है, पूरे खसरे के चारों ओर छीणों के टुकड़े लगा कर नेखमबंदी की हुई है तथा आगे प्रवेश हेतु फाटक लगा हुआ है एवं रहवासी ढाणी बनी हुई है जिसमें अपीलांट का परिवार सहित रहवास है। रेस्पोडेंट संख्या 2 झगडालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसने झूठे एवं मनगढ़त आधार बना कर जिला जन–अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति बाड़मेर में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें आवंटन के समय अपीलांट के भूमिहीन नहीं होने का कथन प्रकट किया गया। इस पर सतर्कता समिति बाड़मेर द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट के नाम से लगातार 45 वर्षों से अधिक समय से चले आ रहे खातेदारी अधिकारों को बाद जांच निरस्त करने के निर्देश रेस्पोडेंट संख्या 1 को दिये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही शुद्धि–पत्र भर कर अपीलांट के नाम की उक्त अपीलाधीन भूमि राजस्व रेकर्ड में राजस्थान सरकार के नाम अंकित कर दी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी प्रकट किया कि तहसीलदार गडरारोड द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा जिला जन–अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं करवाई गई। कानूनन जिला जन–अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति न तो कोई अदालत है और न ही इसको आवंटन निरस्त करने का अथवा इस आशय का कोई निर्देश देने का अधिकार है। लिहाजा उक्त समिति के निर्देशों की पालना के जो कथन अभिलिखित कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह शुरू से ही अवैध व शून्य है तथा काबिल निरस्त है। साथ ही अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी प्रकट किया कि तहसीलदार द्वारा किसी रेकर्डेड खातेदार के आवंटन को निरस्त करने हेतु राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर वाद दायर कर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

खातेदारी अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है। केवल मात्र शुद्धि–पत्र के जरिये तहसीलदार गडरारोड द्वारा पारित अपीलाधीन आवंटन निरस्ती आदेश प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश आवंटन नियमों एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों से परे जाकर अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया है। अतः तहसीलदार गडरारोड द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावे।

6. अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी प्रकट किया कि दिनांक 07.09.2018 को जब पटवारी हल्का मौके पर आया एवं अपीलाधीन आदेश के आधार पर अपीलांट को बेदखल करने की धमकी दी गई। इस पर अपीलांट द्वारा संबंधित आदेश की नकलें मांगी गई जो उसे सर्वप्रथम दिनांक 07.09.2018 को एवं शुद्धि–पत्र की नकल दिनांक 10.09.2018 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एवं संबंधित शुद्धि–पत्र की जानकारी होने की सर्वप्रथम तिथि से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार करने का भी निवेदन किया गया है।

7. रेस्पोडेंट संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा कपटपूर्वक एवं मिथ्याकथन करते हुए विवादित भूमि के आवंटन का नामान्तरकरण हल्का पटवारी से मिलकर दायर करवाया था जिसे तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नहीं किया, इसके बावजूद भी अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज कर दिया गया। इस प्रकार अपीलांट के पक्ष में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से गैर खातेदारी इन्द्राज किये गये थे जिसकी रेस्पोडेंट द्वारा जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कराने पर जांच में यह तथ्य साबित हुआ हैं कि अपीलांट के पक्ष में बिना किसी विधिक आदेश के जमाबन्दी में इन्द्राज किये गये हैं। इस जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर भूमि पुनः राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज करने का आदेश दिया गया। इस आदेश की पालना में तहसीलदार गड़रारोड़ द्वारा अपीलाधीन शद्धिपत्र दायर कर स्वीकृत किया गया हैं, लिहाला अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को अपील सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार नहीं हैं। अतः अपीलांट की यह अपील काबिल खारिज हैं जो मय खर्चा खारिज [illegible] जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:26 IST
Reason: SelfAttested

8. हमने अपीलांट के अपील [illegible] प्रकट तथ्यों [illegible] रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट तथ्यों प[illegible] शुद्धिपत्र का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा [illegible]नसिंह की बेरी के खसरा नंबर

न्यायालय अपर कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

626 / 450 रकबा 36–02 बीघा जो नारायणसिंह पुत्र राणसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारी भूमि के संबंध में जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांक प.10(73)(1)सतर्कता / 2017 / 1980–2015 दिनांक 20.07.2018 की बैठक में दिये निर्देशों की पालना में राजस्थान सरकार के पक्ष में दायर शुद्धि–पत्र की तहसीलदार गडरारोड द्वारा स्वीकृति दिनांक 20.08.2018 दी गई है। अपीलांट ने तहसीलदार गडरारोड के उक्त शुद्धि–पत्र स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.10.2018 को प्रस्तुत की गई हैं। तहसीलदार गड़रारोड़ से प्राप्त मूल शुद्धिपत्र का अवलोकन किया जिसमें जिला कलेक्टर बाड़मेर के पत्रांक : प. 10(73)(1)सतर्कता / 2017 / 1980–2015 दिनांक 20.07.2018 की बैठक की पालना में खसरा नम्बर 626 / 450 रकबा 36–02 बीघा नारायणसिंह पुत्र राणसिंह के स्थान पर राजस्थान सरकार के पक्ष में दर्ज करने हेतु शुद्धिपत्र भरा जाना उल्लेखित हैं। इस सम्बन्ध में जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति बाड़मेर की बैठक कार्यवाही विवरण के बिन्दु सं. 3 का अवलोकन किया जिसमें रेस्पोडेंट इन्द्रसिंह की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर तहसीलदार गड़रारोड़ से प्राप्त रिपोर्ट पर निर्देशित किया गया हैं कि राजस्व रेकर्ड में प्रविष्ट बिना किसी विधिक आदेश के जमाबन्दी में इन्द्राज किये गये हैं। अतः नियमानुसार कार्यवाही की जाकर भूमि पुनः राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज की जावे। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार गड़रारोड़ द्वारा इस आदेश के अनुसरण में हल्का पटवारी ताणू मानजी को नियमानुसार कार्यवाही की जाकर भूमि पुनः राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज करने का आदेश दिनांक 12.08.2018 जारी किया गया तथा हल्का पटवारी द्वारा इसकी पालना में अपीलाधीन शुद्धिपत्र भरकर प्रस्तुत कर दिया। जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति द्वारा रेस्पोडेंट के परिवाद पर जांच उपरांत एक प्रशासनिक प्रकृति का आदेश पारित करते हुए रेकर्ड के इन्द्राज में हुई त्रुटि को उजागर करते हुए तहसीलदार गड़रारोड़ को नियमानुसार विधिक कार्यवाही द्वारा राजस्व रेकर्ड में भूमि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं। इस आदेश का अधीनस्थ तहसीलदार गड़रारोड़ द्वारा समुचित विवेचन किये बिना ही हल्का पटवारी को इन्द्राज का आदेश जारी कर दिया गया। इस समस्त कार्यवाही में अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने एवं प्रतिरक्षण का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं, जिससे न्याय की दृष्टि में अपीलाधीन आदेश एवं विवेचित समस्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के सर्वथा वि[illegible] प्र[illegible] होती हैं। इसके अलावा जहां तक रेस्पोडेंट का कथन [illegible] कि अपीलांट [illegible] बिना किसी विधिक आदेश के भूमि अपने नाम दर्ज कर[illegible] अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अपीलांट के पक्ष [illegible] आवंटन दिनांक 07.10.1977 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

कार्यवाही विवरण की प्रति प्रस्तुत की हैं तथा आवंटन आदेश को निरस्त या अपास्त किये जाने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं हुआ हैं, ऐसे में विधिक रूप से आवंटन आदेश द्वारा आवंटित भूमि का बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये शुद्धिपत्र की सरसरी कार्यवाही एव सतर्कता समिति के प्रशासनिक आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। इस प्रकार अधीनस्थ तहसीलदार गड़रारोड़ द्वारा सतर्कता समिति के प्रशासनिक निर्देशों की समुचित रूप से विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन शुद्धिपत्र द्वारा अपीलांट की खातेदारी निरस्त करने का आदेश की जारी किया हैं वह पूर्णतया अवैध एवं निरस्तनीय हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन शुद्धिपत्र सं. 1 ग्राम जानसिंह की बेरी पटवार मण्डल ताणू मानजी तहसीलदार गड़रारोड़ स्वीकृति दिनांक 20.08.2018 को अपास्त किया जाता हैं। इसके उपरांत भी तहसीलदार गड़रारोड़ को सतर्कता समिति के निर्देशों के अनुसरण में यदि अपीलांट के आवंटन के सम्बन्ध में किसी प्रकार अनियमितता पाई जाती हैं जो इसके लिए आवंटन निरस्तीकरण की विधिक कार्यवाही पृथक से सक्षम न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 05.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:26 IST
Reason: SelfAttested